# न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

| मिसल संख्या | तारीख दायरा | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| मैनुअल नं. 27 / अपील / 2022 ( GCMS No. 2022 / 51 ) | 09.05.2022 | 05.02.2024 |

निर्मला पत्नी बाबूलाल जाति मीणा,
निवासी ग्राम गुवाड़ी, तहसील एवं जिला बून्दी (राज0)

— अपीलान्ट

बनाम

1. अंगुरी बाई पुत्री बाबूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम गुवाडी
2. तोलाराम आ. बाबूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम गुवाडी
3. तहसीलदार बून्दी (जिला बून्दी)

— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित—

अपीलान्ट की ओर से श्री प्रेमशंकर गुर्जर, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की ओर से श्री रामदत्त शर्मा, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 3 की ओर से पेरोकार सरकार।

## निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 608 दिनांक 11.02.2002 ग्राम गुवाड़ी से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तकरण ग्राम गुवाड़ी में विस्थित आराजी के खातेदार बाबूलाल पुत्र गोपाल जाति मीणा के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर क्रमांक 27 / 2023 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2022 / 51 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर, बून्दी

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खाता सं. 110 कुल खसरा 4 कुल क्षेत्रफल 8.2152 हैक्टे.तथा खाता सं. 11 कुल खसरा 31 कुल क्षेत्रफल 24.9692 हैक्टेयर भूमि ग्राम गुवाडी तहसील एवं जिला बून्दी है। जिसमें बाबूलाल पुत्र गोपाल जाति मीणा हिस्सा 1/15 खातेदार था जिसकी दिनांक 23.12.2021 को मृत्यु होनेपर विरासत नामान्तरण प्रकिया में खातेदार बाबूलाल की पत्नी अपीलांट को छोडते हुये तथा उसको सुनवाई का अवसर दिये बिना रेस्पो.सं. 1 व 2 के नाम नामान्तकरण सं. 608 दिनांक 11.02.2022 स्वीकृत कर दिया, जो अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। खातेदार बाबूलाल ने अपने जीवनकाल में ही दो शादियां की थी, पहली पत्नी मौसमी बाई थी उसके 2 संतान एक पुत्री रेस्पो.सं.1 अंगुरी बाई एवं एक पुत्र रेस्पो.सं.2 तोलाराम उत्पन्न हुए। उक्त मौसमी बाई का लगभग 22 वर्ष पूर्व देहान्त हो चुका है। पहली पत्नी के देहान्त के पश्चात बाबूलाल ने अपीलांट निर्मला से दूसरा विवाह कर लिया है, तब से ही बाबूलाल व निर्मला पति पत्नी के रूप में निवासरत रहे है, किन्तु उसके कोई संतान नहीं हुई। समस्त दस्तावेजों में अपीलांट के पति का नाम बाबूलाल अंकित है और बाबूलाल की मृत्यु उपरांत अब उसकी अपीलाधीन भूमियों सहित समस्त सम्पत्तियों में उसकी वारिस अपीलांट का हक अधिकार निहित है। खातेदार बाबूलाल की मृत्यु के बाद रेस्पो.सं.1 व 2 ने आपस में मिलकर षडयंत्र करके राजस्व कर्मचारियों को सही तथ्य नहीं बता कर अपने दोनों के नाम फौती इंतकाल तस्दीक करवा लिया, जबकि बाबूलाल की जीवित विधवा अपीलांट को उक्त नामान्तकरण प्रक्रिया में शामिल ही नहीं किया गया। अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने से वह अपने दस्तावेज साक्ष्य इत्यादि प्रस्तुत नहीं कर सकी। विधिक वारिस अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित है। अपीलाधीन भूमियों में अपीलांट अपने हिस्से अनुसार काबिज रहकर अपनी आजीविका चला रही है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामा. तस्दीक करने से पूर्व कब्जे की जांच भी नहीं की गई। जब दिनांक 8.4.22 को रेस्पो.सं.1 व 2 ने जमीन उनके नाम दर्ज करवा लिये जाने एवं अपीलांट को कब्जा छोड देने की धमकी दी तो उसी दिन अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में सम्पर्क किया। जिस पर निर्मला के नाम का शुद्धि पत्र प्रविष्ट 12 दिनांक 12.4.22 भरकर पेश किया गया,किन्तु विरासत नामान्तकरण पूर्व में खुल जाने एवं प्रकरण शुद्धिपत्र का न होकर सक्षम न्यायालय में अपील का होना अंकित करते हुये शुद्धिपत्र दिनांक 25.4.22 को खारिज कर दिया गया। तब यह अपील मध्य अवधि पेश है। यदि फिर भी विलम्ब माना जावें तो देरी कन्डोन फरमाई जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया है। अभिभाषक अपीलांट ने अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर अपीलांट के पक्ष में भी नामान्तरकरण स्वीकार करने का आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बून्दी (राज.)

जिला कलेक्टर; बून्दी

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 व 2 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन कृषि भूमि का खातेदार बाबूलाल, मीणा जाति का सदस्य है जो अनुसूचित जन जाति के अन्तर्गत आते है तथा अनुसूचित जन जाति के सदस्यों पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। उक्त मीणा जाति वर्ग में हक मात्र पुरूष वर्ग के कोपासर्नर को ही है जबकि मीणा जाति की विधवा को सम्पत्ति विषयक विरासत के अधिकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त नहीं होते है। इस प्रकार अनुसूचित जन जाति में विधवा को मात्र जीवन निर्वाह अधिकार ही विधि के अनुसार प्राप्त होते है। इस कारण मृतक खातेदार बाबूलाल मीणा के अपीलाधीन फौती इंतकाल में पुत्र तोलाराम के मौजूद होने से विधवा को कोई स्वत्व अपीलाधीन सम्पत्ति पर प्राप्त नहीं होते है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण विधि प्रावधानों के अन्तर्गत तस्दीक होने से तथा अपीलांट की अपील विधि प्रावधानों के विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य है। अभिभाषक रेस्पो. 1 व 2 ने अपने कथन के समर्थन में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2), आर.आर.डी. 1989 पेज 284 एवं आर.आर.डी.1981 पेज 361 की नजीरें पेश करते हुये अपील अपीलांट सारहीन होना बताते हुये इसे खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 11.02.2002 की जानकारी होने पर तत्काल शुद्धि पत्र की कार्यवाही की गई एवं शुद्धि पत्र दिनांक 25.4.2022 को खारिज होने पर हस्तगत अपील अवधि मध्य पेश की गई। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि ग्राम गुवाडी, तहसील बून्दी के खाता संख्या 110 व 111 में स्थित कृषि भूमियों का सहखातेदार बाबूलाल आ. गोपाल जाति मीणा था। खातेदार बाबूलाल के फोत हो जाने पर पुत्री अंगुरीबाई एवं पुत्र तोलाराम के पक्ष में दिनांक 17.02.2022 को अपीलाधीन फोती नामान्तरकरण तस्दीक किया गया। इस पर अपीलांट को आपत्ति है कि वह खातेदार बाबूलाल की विधवा होने से उसका नाम अपने पति के खाते की कृषि भूमियों के फोती इंतकाल में दर्ज नहीं किया जाकर तस्दीक किया गया अपीलाधीन नामान्तरकरण विधिविरूद्ध है

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

जिला कलक्टर, बून्दी

मृतक खातेदार के वारिसान की जांच एवं सुनवाई किये बिना तस्दीक किया गया अपीलाधीन नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही विधिविरूद्ध होने से खारिज किया जावे, जबकि रेस्पो.संख्या 1 व 2 का मानना है कि पक्षकारान मीणा अनुसूचित जन जाति के सदस्य है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है, ऐसे में अपीलाधीन नामान्तरकरण विधिसम्मत होने से अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि मृतक खातेदार की पत्नी अपीलांट को उक्त नामान्तकरण प्रकिया में शामिल नहीं किया जाना तथा उसको सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित है। विरासतन नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व खातेदार के समस्त सभी विधिक उत्तराधिकारियों की जांच कर, उनको सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने से विधिक प्रावधानों की पालना के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किये जाने में विधिक त्रुटि होना प्रथमदृष्ट्या प्रकट होता है। ऐसे में अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उत्तराधिकारियों की सुनवाई कर नये सिरे से नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामस्वरूप उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 608 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर मृतक खातेदार बाबूलाल आ. गोपाल जाति मीणा के सभी विधिक वारिसान की जांच कर, उनको सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, विधिक प्रावधानों की विवेचना करते हुये आदेश पारित कर नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक करने की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 05.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( अक्षय गोदारा )
जिला कलेक्टर, बून्दी

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
बून्दी (राज.)